

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर
“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर-302015
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309)

क्रमांक:- प.3(ई) ()/अलेसे-आ/ डीपीसी/ 2019-20/ 15

दिनांक:- 13/05/2020

कार्यालय आदेश

सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-आ से सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-आ पद पर पदोन्नति किये जाने हेतु वर्ष 2018-19 की रिक्तियों के विरुद्ध आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति दिनांक 04.08.2018 की बैठक द्वारा निम्नलिखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 6 पर अंकित कमियों के कारण पदोन्नति प्रकरणों को आस्थगित रखा गया था :-

क्र.सं.	लिंक नं.	मेरिट नं.	नाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि	पदोन्नति में आस्थगित रहने का कारण
1	2	3	4	5	6
1	9619	320/2011	अशोक कुमार	04-03-1988	संतान संबंधी सूचना बकाया
2	4820	147/88	मधुसूदन अग्रवाल	05-07-1964	संतान संबंधी सूचना बकाया
3	4073	159/88	झुण्डाराम सामोता	31-12-1966	संतान संबंधी सूचना बकाया
4	5439	192/88	सुभाष चन्द शर्मा	18-01-1965	संतान संबंधी सूचना बकाया
5	4851	202/88	मोहन लाल	11-04-1962	संतान संबंधी सूचना बकाया
6	4483	221/88	दिनेश कुमार शर्मा	20-08-1963	संतान संबंधी सूचना बकाया
7	5455	232/88	सर्वेश एस पाठक	18-12-1965	संतान संबंधी सूचना बकाया
8	4744	317/88	अजीत सक्सेना	17-08-1965	संतान संबंधी सूचना बकाया
9	4203	345/88	कैलाश पारीक	22-11-1964	संतान संबंधी सूचना बकाया
10	5004	355/88	भोलाशंकर शर्मा	11-06-1960	संतान संबंधी सूचना बकाया
11	4774	376/88	अनूपचंद सोनी	18-10-1965	संतान संबंधी सूचना बकाया
12	1769	384/88	रामविलास शर्मा	02-07-1964	संतान संबंधी सूचना बकाया
13	1770	398/88	रतन सिंह	05-02-1963	संतान संबंधी सूचना बकाया

उक्त सभी कार्मिकों एवं कार्यालय अध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे वांछित संतान घोषणा पत्र दिनांक 09.06.2020 तक भिजवाना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में वांछित संतान घोषणा पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में यह माना जायेगा कि कार्मिक निदेशालय के आदेशों की स्वैच्छा से अनुपालना नहीं कर रहे हैं तथा ऐसे कार्मिकों के विरुद्ध सीसीए नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी साथ ही इनके पदोन्नति प्रकरण फॉरगो मानते हुए आगामी दो वर्षों तक पदोन्नति पर विचार नहीं किया जावेगा।

(मुकुन्द सोहानी)
निदेशक

क्रमांक:- प.3(ई) ()/अलेसे-आ/ डीपीसी/ 2019-20/ 15

दिनांक:- 13/05/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित कार्यालयाध्यक्ष
2. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-आ/एपीएआर शाखा)
3. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-आ
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाइट) हेतु।
6. निजी पत्रावली/ रक्षित पत्रावली।

(भवानी सिंह मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-आ)

D:\SAS-II\sas-ii\kailash ji\order